

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.09.2023**

**गोवंश की तस्करी करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, टाटा मैजिक में लदे 03 अदद गोवंश बरामद—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गोवंशों को ले जाने वाले 04 तस्करों—01. हनीफ, 02. रईश अहमद, 03. शाद आलम उर्फ सद्दू, 04. मुमताज को गिरफ्तार कर 03 अदद गोवंश बरामद किया गया तथा परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद टाटा मैजिक को सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. हनीफ पुत्र गोली नि० कालीधन बंजारनपुर थानाको० नगर जनपद गोण्डा स्थायी पता महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर।
02. रईश अहमद पुत्र मुअज्जम अली नि० महदेईया वनगांव थाना उत्तरौला जनपद बलरामपुर।
03. शाद आलम उर्फ सद्दू पुत्र हसमत अली नि० अहरौली थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर।
04. मुमताज पुत्र लिल्लाही नि० महदेईया थाना श्री दत्तगंज जनपद बलरामपुर।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—292/23, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशुकूरता अधि० थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 03 अदद गोवंशीय पशु
02. 01 अदद टाटा मैजिक

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ०नि० विजय प्रकाश मय टीम थाना धानेपुर गोण्डा।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.09.2023**

**जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त द्वारिका प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी चन्द्रप्रकाश पुत्र अयोध्या प्रसाद नि० ग्राम तालागंज थाना छपिया जनपद गोण्डा की जमीन को फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा करवा लिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. द्वारिका प्रसाद पुत्र भगौती प्रसाद नि० तालागंज थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—587 / 22, धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—252 / 22, धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ०नि० अरविन्द कुमार मय टीम।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.09.2023**

**'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से अवैध मादक पदार्थ तस्कर को हुई 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 10,000 /- के अर्थदण्ड की सजा-**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप अवैध मादक पदार्थ तस्कर को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 10,000 /- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना परसपुर पुलिस ने दिनांक 05.09.2020 को मादक पदार्थ तस्कर राकेश उर्फ ननके को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना परसपुर के पैरोकार का0 वासुदेव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश स्वापक औषध एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधि0 गोण्डा कक्ष सं0-06 ने 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 10,000 /- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

**अभियुक्त का नाम पता-**

01. राकेश उर्फ ननके गोस्वामी पुत्र स्व0 विश्वम्भर नि0 छिटू पुरवा मौजा चरहुआ थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-247 / 20, धारा 8 / 21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.09.2023**

**नशीली गोलियों के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर से अभियुक्त मोहम्मद अहमद उर्फ पप्पू उर्फ कटहरे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 98 टेबलेट अल्प्रोजोलम बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० देहात में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. मोहम्मद अहमद उर्फ पप्पू उर्फ कटहरे पुत्र महबूब अली नि० ग्राम जमुनिया बाग थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-479/23, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 90 अदद अल्प्रोजोलम टेबलेट।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ०नि० नागेश्वर नाथ पटेल मय टीम।

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 02.09.2023

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

#### 01. थाना को0 देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मनोज पुत्र सीताराम नि0 ग्राम भकुराह जमदरा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-480/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.09.2023**

**फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गुरुनानक चौराहे के पास से फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग के वांछित अभियुक्त रवि वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का सदस्य था। जिसके 03 साथी अभियुक्तों को थाना को० नगर पुलिस द्वारा दिनांक 03.10.2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रवि वर्मा पुत्र वंशराज नि० पिपरा भिटौरा पो० इमिलिया रूपी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-495/22, धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 66डी० आई०टी०एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद कीपैड मोबाइल फोन।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. नि०आ० अरविन्द यादव थाना को० नगर मय टीम।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.09.2023**

**'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रू0 11,000 /- के अर्थदण्ड की सजा-**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व रू0 11,000 /- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में अभियुक्त श्यामू शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री अनूप प्रताप सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना कटराबाजार के पैरोकार हेड का0 सुनील शुक्ला के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 प्रथम कोर्ट गोण्डा ने 03 अवधि की सजा व रू0 11,000 /- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

**अभियुक्त का नाम पता-**

01. श्यामू शुक्ला पुत्र उदित नारायण शुक्ला नि0 शुक्लन गांव मौजा परसौना थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0- 106/20, धारा 354,506 भादवि, 7/8 पॉक्सो ऐक्ट व 3(1)द, 3(1)ब एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।